बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0—4/निदे0—(PM-AJAY)—36—01/2023— 64

प्रेषक,

प्रियंका रानी,
निदेशक

सेवा में,

अवर सचिव—सह—
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक—27/05/2026

विषयः— वित्तीय वर्ष 2026—27 में केन्द्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PMAJAY) के कार्यान्वयन के लिए सहायता अनुदान अन्तर्गत ₹3,16,05,000/— मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

राज्य सरकार के द्वारा विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0—61 दिनांक 25.05.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026—27 में केन्द्र प्रायोजित योजना— प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PMAJAY) के अन्तर्गत बजट उपबंध के आलोक में सहायता अनुदान अन्तर्गत ₹3,16,05,000/— मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति के आलोक में ₹3,16,05,000/— (तीन करोड़ सोलह लाख पाँच हजार रू0) मात्र की राशि SNA-SPARSH के लिए वित्त विभाग बिहार, पटना तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा—निर्देश के अनुरूप व्यय करने हेतु आवंटित की जाती है।

2— उक्त राशि मांग सं0—44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष—"2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण—उपमुख्य शीर्ष—01—अनुसूचित जातियों का कल्याण—लघुशीर्ष--789—अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना— उपशीर्ष—0201—अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना)—विषय शीर्ष—3301—सब्सिडी, विपत्र कोड सं0—44-2225017890201" पी0एफ0एम0एस0 कोड— 3967 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3— वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक— 5295 दिनांक 09.05.2025 तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के O.M. दिनांक— 13.07.2025 तथा समय—समय पर निर्गत SNA-SPARSH के दिशा—निर्देश के आलोक में राशि का व्यय किया जाएगा।

4— इस योजना का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग तथा कार्यान्वयन एजेंसी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ कार्यान्वयन एजेंसी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेंगे तथा व्यय की गई राशि का व्यय विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे।

5– कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्वीकृत योजना पर हीं राशि व्यय की जाएगी। किसी भी स्थिति में इस राशि का विचलन नहीं किया जाएगा। साथ हीं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं एवं लाभान्वितों का डुप्लीकेशन न हो।

6– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2561 दिनांक 17.04.1998 एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जयेगा।

7– व्ययन पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेंगे।

8–इस स्वीकृति की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

विश्वासभाजन

26/5/26

(प्रियंका रानी)

निदेशक।

ज्ञापांक–4 / निदे0–(PM-AJAY)–36–01 / 2023– 64 पटना, दिनांक– 27/05/2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना / बजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार / सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी–8डी0 / सांख्यिकी शाखा / आई0 टी0 मैनेजर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/5/26

निदेशक।

ज्ञापांक–4 / निदे0–(PM-AJAY)–36–01 / 2023– 64 पटना, दिनांक– 27/05/2026

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/5/26

निदेशक।

ज्ञापांक–4 / निदे0–(PM-AJAY)–36–01 / 2023– 64 पटना, दिनांक– 27/05/2026

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / विशेष कार्य पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/5/26

निदेशक।

ज्ञापांक–4 / निदे0–(PM-AJAY)–36–01 / 2023– 64 पटना, दिनांक– 27/05/2026

प्रतिलिपि–अवर सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

26/5/26

निदेशक।